

राजस्थान सरकार
कार्मिक (ख-3,सुरक्षा) विभाग


क्रमांक :प. 4(24)कार्मिक /ख-3/सु./99

जयपुर ,दिनांक 29 OCT 2012

परिपत्र


विषय :- सचिवालय परिसर में प्रवेश/निकास व्यवस्था के सम्बन्ध में।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र, दिनांक 24/09/2009 में आंशिक संशोधन करते हुए शासन सचिवालय परिसर स्थित भूमिगत चार पहिया वाहन पार्किंग के प्रवेश द्वार नं. 1 एवं 2 प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे के स्थान पर प्रातः 9:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ही खोले जाने का निर्णय लिया गया है। अतः अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि उपरोक्त समय के अतिरिक्त भूमिगत पार्किंग से मुख्य भवन में प्रवेश/निकास के लिये वैकल्पिक प्रवेश द्वारों का ही उपयोग किया जावे।


शासन उप सचिव
कार्मिक (ख-3,सुरक्षा) विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव,समस्त मा. मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त विशिष्ट शासन सचिव/शासन उप सचिव/विशेषाधिकारी।
6. उप निदेशक, सांख्यिकी, मुख्य मंत्री कार्यालय।
7. समस्त शासन सहायक सचिव/अनुभागाधिकारी।
8. समस्त अनुभाग,शासन सचिवालय, जयपुर।
9. सचिवालय परिसर स्थित समस्त विभागाध्यक्ष।
10. नोटिस बोर्ड।


अनुभागाधिकारी,